

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर

तारीख दायर


तारीख फैसला

20/07/2023

20/07/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण
दिनांक 20.7.2023.... को किया जा चुका है।


उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज०
पीतारसीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर०ए०एस०)

मुकदमा नम्बर
436/2022

तारीख नामर
09-09-2022

तारीख फेराला
20/09/2022

सुनवान

01 शमसताम

02 शमकेशन पुत्राच एव० श्री हरिसिंह जाति मेघनाल निवासी ग्राम हरानपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

-----: वादी

बनाम

01 राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा जिला अलवर (राज०)

-----: प्रतिवादी

दाना इश्तकरारहक मय दुरुरती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवाभी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

व्यवस्थित

01 श्री कुलदीप आहूजा एडवोकेट (वादीगण)

---: निर्णय :-

प्रकरण में सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद इश्तकरारहक मय दुरुरती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवाभी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि साबिक आराजी खरारा नम्बर 586 रकबा 23 बीघा व 557 रकबा 3 बिरवा वाके ग्राम हरानपुर माफी तहसील तिजारा में स्थित है। जिसके हाल आराजी खरारा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिरवा पैमुद किये गये हैं। वर्णित आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। साबिक आराजी खरारा नम्बर 586 रकबा 23 बीघा, जिसके हाल आराजी खरारा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिरवा है, में से अन्य आराजीयात के साथ साथ साबिक आराजी खरारा नम्बर 586 रकबा 1 बीघा 18 बिरवा रकबा की खातेदारी जरिये सनद पट्टा संख्या 1908 दिनांक 17.03.1994 को तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर, तिजारा द्वारा गिन हम वादीगण के पिता हरिसिंह पुत्र जहारिया के नाम जारी कर दिया गया व खातेदारी हकूक प्रदान कर दिये गये। जिसका नामान्तरण संख्या 498 भी गिन वादीगण के पिता हरिसिंह के नाम दर्ज व मंजूर हो गया। गिन वादीगण के पिता श्री हरिसिंह का नाम बतौर खातेदार काश्तकार का अगल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कर दिया गया। गिन वादीगण के पिता हरिसिंह अपने जीवनकाल में काबिज व दाखिल रहा है। हम वादीगण के पिता श्री हरिसिंह का देहान्तत हो गया है। उनके मरने के बाद हम वादीगण उसके विधिक वारिसान आराजी पर काबिज व दाखिल चले आ रहे हैं तथा मौके पर गिन वादीगण अपने पिता हरिसिंह से विरासत से मिली अपनी आराजी पर वास्तविक कब्जा है। हाल आराजी खरारा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिरवा में से 1 बीघा 5 बिरवा रकबा सतेन्द्र पुत्र फूलसिंह को आवंटित कर पट्टा दिया गया था परन्तु सतेन्द्र पुत्र श्री फूलसिंह के नामान्तरण संख्या 330 में पटवारी हल्का की गलती से रकबा 23 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

3 बिस्वा रकबा दर्ज कर दिया। जिस कारण से मिन वादीगण के पिता हरिसिंह के नामान्तकरण संख्या 498 का अमल राजस्व रिकार्ड से हटा दिया गया। तत्पश्चात सतेन्द्र पुत्र श्री फूलसिंह द्वारा अपने नामान्तकरण संख्या 330 की अपील माननीय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय अलवर के आदेश से सतेन्द्र पुत्र फूलसिंह के नामान्तकरण संख्या 330 में हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा में से 1 बीघा 5 बिस्वा शुद्ध कर सतेन्द्र पुत्र फूलसिंह के नाम 1 बीघा 5 बिस्वा का दर्ज कर दिया गया परन्तु मिन वादीगण के पिता हरिसिंह का अंकन प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा बहाल नहीं किया गया है तथा उक्त आराजी के गलत रूप से चार नम्बर हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 4.79 है0 व 486/692 रकबा 0.25 है0, 486/697 रकबा 0.40 है0, 486/709 रकबा 0.40 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.05 है0 दर्ज कर दिये। जबकि उक्त भूमि में गलत रूप से अंकन गैरखातेदारान वगे. तीस घर दर्ज कर दिया। जो अंकन उपरोक्त अनुसार गलत दर्ज चला आ रहा है। जो खिलाफ मौका, खिलाफ रिकार्ड है, जो मिन वादी के हकूकों के खिलाफ आरम्भ से ही बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले पाबन्दी है। जिसे मिन वादी की कदर बातिल वो बेअसर करार दिलाकर विवादित आराजी के 1 बीघा 19 बिस्वा के खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है तथा गलत को दुरुस्त कराकर विधि विरुद्ध तरीके से पैमुद किये गये बंटे नम्बरो को हटवाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा यानि 5.84 है0 में से 1 बीघा 8 बिस्वा का खातेदार काश्तकार जरिये पट्टा संख्या 1908 व नामान्तकरण संख्या 498 के अनुसार दुरुस्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज की डिकी प्राप्त करने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली की गई। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र रामसहाय पुत्र हरिसिंह जाति मेघवाल निवासी ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर, रामपत पुत्र रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किये गये।

वादी अपनी दौरान अपनी बहस वाद के तथ्यों को दौहराया गया है। वादी के वाद को डिकी किये जाने का निवेदन किया गया।

यह कि प्रकरण में निम्न तनकीयात कामय की गई।

तनकी नम्बर 1 - आया वादी मुताबिक सनद पट्टा व नामान्तकरण, आराजी का खातेदार है, जो इसी कदर स्वयं को खातेदार घोषित कराकर अपने नाम का अंकन कराने का अधिकारी है।

— जिम्मे वादी

तनकी नम्बर 2 - आया वादी, प्रतिवादी को जरिये डिकी हुई0 दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

— जिम्मे वादी

तनकी नम्बर 3 - आया वादी का वाद काबिले खारिज है।


— जिम्मे प्रतिवादी

तनकी नम्बर 4 - अनुतोष।


उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

यह कि वादीगण को जरिये सनद पट्टा भूमि आवंटित की जाकर नामान्तकरण संख्या मंजूर किया
2) जिसका अमल भी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कर दिया गया। परन्तु माननीय अतिरिक्त जिला
कलक्टर महोदय, के यहां दीगर इंतकाल संख्या 330 की अपील होने से व निर्णय होने से उपरोक्त राजस्व
से वादीगण के नाम का अंकन हटा दिया गया। नामान्तकरण संख्या 330 का कोई संबंध व सरोकार
की आराजी से नहीं है एवं ना ही माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय के निर्णय से
का रकबा प्रभावित होता है परन्तु पटवारी हल्का की गलती से वादीगण का अंकन सहवन से हटा
गया। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में किसी प्रकार का विरोधाभाषी कथन वाद के विपरित में नहीं कहा
पेटु वाद में जारी सनद पट्टा व राजस्व रिकार्ड की पुष्टि की है एवं यह अंकित किया है कि
प्रभावित नहीं है जिस कारण से वादी का वाद डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है। तनकी
पूर्णतया वादी के पक्ष में साबित है चूंकि प्रतिवादी राज्य सरकार है इसलिए तनकी संख्या 2 की
कोई अनुतोष वादीगण को नहीं दिया जा सकता।

अतः वादी का वाद डिकी किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 4.79 है0 व
92 रकबा 0.25 है0, 486/697 रकबा 0.40 है0, 486/709 रकबा 0.40 है0 कुल किता 4 कुल रकबा
50 वाके ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) में मुताबिक सनद पट्टा
व नामान्तकरण संख्या 498 के अनुसार 1 बीघा 18 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता
नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिकी जारी हो।
आदेश सुनाया गया।


(महेन्द्र सिंह)
उपसहाय्य अधिकारी,
तिजारा (अलवर) राजस्थान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर

436 / 2022

तारीख दायर

09-09-2022

तारीख फैसला

20/07/2023

उनवान

01. रामसहाय

02. रामकिशन पुत्रान स्व0 श्री हरिसिंह जाति मेघवाल निवासी ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

—:: वादी

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा जिला अलवर (राज0)

—:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज वो हुकमइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

स्थित

01. श्री कुलदीप आहूजा एडवोकेट (वादीगण)

—:: पर्चा डिक्री ::-

आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 4.79 है0 व 486/692 रकबा 0.25 है0, 486/697 रकबा 0.40
486/709 रकबा 0.40 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम हसनपुर माफी तहसील
तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) में मुताबिक सनद पट्टा 1908 व नामान्तकरण संख्या 498 के अनुसार 1
वा 18 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद
प्रा जावें।

(महेन्द्र सिंह)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0